THEORIES OF PUNISHMENT - REFORMATIVE THEORY

दण्ड के सिद्धान्त - सुधारवाद

By- Dr. Arun Kumar Sinha
Asso. Professor, Philosophy Department
Raja Singh College, Siwan

(For Part- 2 Hons./Subs. Students)

दण्ड के सिद्धांत का तीसरा प्रकार है सुधारवादी सिद्धान्त।इस सिद्धान्त के अनुसार किसी अपराधी को दण्ड प्रतिकार की भावना से नहीं, या भय के संचार के लिए नहीं बल्कि उसके ही सुधार की भावना से होनी चाहिए।आधुनिक युग में यह सिद्धान्त अधिक प्रचार में है। यह सिद्धान्त अपराधी को वस्तु या साधन न मानते हुए उसे एक व्यक्ति के रूप मानकर व्यवहार करने पर बल देता है।दण्ड का लक्ष्य भय का संचार नहीं बल्कि सुधार की भावना से होना चाहिए।यहाँ अपराधी को उसके हित में दण्ड दिया जाता है न कि दूसरों के हित में।यह सिद्धान्त आधुनिक मानवतावादी विचारधारा से मेल खाता है।इस सिद्धान्त के समर्थन में कई दृष्टिकोण हैं पर उनमें से प्रमुख दो ही हैं : -

1 अपराध मानवशास्त्र(Criminal Anthropology)
2 अपराध समाजशास्त्र(Criminal Sociology)

अपराध मानवशास्त्र - इस मत के अनुसार अपराध एक मानसिक विकार है, रोग है, एक वंशक्रमानुगत अथवा अर्जित पतन की अवस्था है।इस तरह के किसी विकार हो जाने से मनुष्य अपराध करता है तो ऐसे अपराधी को दण्ड देने के बदले उसे चिकित्सा की आवश्यकता है।इन्हें कारागारों के स्थान पर अस्पताल, पागलखाने और सुधारशालायें अपराध को कमकरने में अधिक सहायक हो सकते हैं।

यद्यपि यह मत देखने सही प्रतीत होता है पर इसकी भी आलोचनाएं हुई हैं - यह मत अपराध को एक मानसिक विकार अर्थात अपराध करने वाले अपराधी को पागल करार करता जो उचित नहीं है।एक पागल और अपराधी में अन्तर है।पागल को अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता पर एक अपराधी में ऐसी बात नहीं होती।इस तरह शारीरिक और मानसिक दोष के कारण अपराध करने वाले अपराधियों की संख्या कम है।जो लोग अन्य कारणों से अपराध करते हैं उन्हें चिकित्सा से नहीं बल्कि अन्य प्रकार से रोकने की आवश्यकता है।

अपराध समाजशास्त्र - इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी अपराध के पीछे का कारण आर्थिक विषमता है।समाज में इस तरह की विषमतायें हैं कि मानव अपराध करने के लिए बाध्य हो जाता है।अपराधियों को दण्ड देने के बदले समाजिक, आर्थिक परिस्थितियों एवम असमानताओं को में सुधार की आवश्यकता है।भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाना होगा।अपराध

को न्याय और समानता के आधार पर मानव समाज को संगठित कर रोका जा सकता है।

इस मत की भी आलोचनाकी गई है - यह बात सही है कि कुछ अपराध सामाजिक असमानताओं के कारण होते हैं पर यह सभी के साथ लागू नहीं होता।अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो जान-बूझ कर अपराध करते हैं।अपराध करना उनकी आदत सी बन जाती है।

सुधारवादी सिद्धान्त के दो मत - अपराध मानवशास्त्र और अपराध समाजशास्त्र के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे विचारक हैं जिनका मानना है कि दण्ड की अपेक्षा क्षमा दान अपराधी के सुधार में ज्यादा कारगर साबित होगा।महात्मा गाँधी और जयप्रकाश नारायण ऐसे समाज सुधारक हुए हैं जिनका मानना था कि क्षमादान से हृदय परिवर्तन की संभावना अधिक रहती है।उनका यह विचार दण्ड का निषेध नहीं करता बल्कि यह अपराधी को अपने द्वारा किये गए अपराधों के लिए पश्चाताप करने पर मजबूर करता है।पश्चाताप से उसे मानसिक पीड़ा होती है।इसलिए इसे भी एक दण्ड का रूप माना जाय जो अन्य से भिन्न है।

यद्यपि क्षमादान देखने और समझने में अन्य बिधियों के अपेक्षाकृत अधिक अच्छा लगता है पर वैसे लोग जिन्हें अपराध का आदत पड़ गया हो उनमें सुधार की संभावना कम ही होती है।यह भी की यदि अपराधों के लिए दण्ड की प्रथा का त्याग किया जाय तब अपराधी बड़ा से बड़ा अपराध यह सोचकर करेगा कि उसे इस अपराध के लिए किसी तरह का कोई मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं प्राप्त होगा।ऐसा देखा गया है कि पश्चाताप की भावना उनमें होती है जिनमें नैतिक चेतना विकसित होती है।अपराधियों में नैतिक चेतना का अभाव रहता है।क्षमादान से यदि सुधार नहीं होता है तब गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं।

सुधारवादी सिद्धान्त दण्ड के अन्य सिद्धान्तों में श्रेष्ठ है।यह आधुनिक मानवतावादी सिद्धान्तों से मेल खाता है।यह अपराध के कारणों का समाधान कर अपराधों को रोकना चाहता है।अन्त में यह कहा जा सकता है कि दण्ड या पुरस्कार तभी सफल होते हैं जब मनुष्य में यह भावना आ जाय कि दण्ड या पुरस्कार के रूप में उसे उसके ही कर्मों का फल मिला है।इन सब विवेचना के पश्चात यह कहा जा सकता है कि नैतिक चेतना का जाग्रत होना आवश्यक है।